भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2191

12 दिसम्बर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुर्वेद में विशेषज्ञ चिकित्सकों के पदों का सृजन

2191. श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के सभी राज्यों में आयुर्वेद प्रणाली की विभिन्न नैदानिक शाखाओं जैसे कायचिकित्सा, शल्यतंत्र, पंचकर्म, शलाक्य तंत्र आदि में विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद सृजित करने की आवश्यकता पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों के पदों के सृजन का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और नियुक्ति प्रक्रिया कब तक पूरी होगी?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए आवश्यकता का आकलन और पदों का सृजन संबंधित राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। तथापि, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) ने विनियम अधिसूचित किए हैं नामत: “स्नातक-पूर्व आयुर्वेद शिक्षा के न्यूनतम मानक विनियम-2022”, “स्नातक-पूर्व आयुर्वेद कॉलेजों एवं संबद्ध शिक्षण अस्पतालों हेतु न्यूनतम आवश्यक मानक, मूल्यांकन तथा रेटिंग विनियम, 2024” और “स्नातकोत्तर संस्थानों हेतु न्यूनतम आवश्यक मानक, मूल्यांकन एवं रेटिंग तथा आयुर्वेद में स्नातकोत्तर शिक्षा हेतु न्यूनतम मानक विनियम, 2024”।

विनियम नामत: स्नातक-पूर्व आयुर्वेद कॉलेजों एवं संबद्ध शिक्षण अस्पतालों हेतु न्यूनतम आवश्यक मानक, मूल्यांकन तथा रेटिंग विनियम, 2024 के अनुसार, अनुसूची-IV में अपेक्षित न्यूनतम आवश्यक शिक्षण स्टॉफ (प्रवेश क्षमता के अनुसार) का प्रावधान निर्धारित किया गया है और अस्पताल स्टॉफ हेतु न्यूनतम अपेक्षित आवश्यकता का प्रावधान अनुसूची-XX में निर्धारित किया गया है। इसी तरह, विनियम नामत: स्नातकोत्तर संस्थानों हेतु न्यूनतम आवश्यक मानक, मूल्यांकन एवं रेटिंग और आयुर्वेद में स्नातकोत्तर शिक्षा विनियम, 2024 के अनुसार, स्नातक-पूर्व कॉलेज और एकल स्नातकोत्तर संस्थान में स्नातकोत्तर विभागों के लिए शिक्षण स्टाफ की न्यूनतम अपेक्षित आवश्यकता का प्रावधान भी क्रमशः अनुसूची-VIII और IX के तहत निर्धारित किया गया है तथा अस्पताल स्टॉफ की न्यूनतम अपेक्षित आवश्यकताओं का प्रावधान भी अनुसूची-XII में निर्धारित किया गया है। उपर्युक्त विनियमों के विवरण एनसीआईएसएम की वेबसाइट https://ncismindia.org/ पर उपलब्ध हैं।

*****